

NHRC ने असम सरकार को प्रताड़ित नाबालिग को राहत देने का निर्देश दिया

<https://jantaserishta.com/local/assam/nhrc-directs-assam-government-to-provide-relief-to-the-victimized-minor-1573577>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बुधवार को असम सरकार को एक सहायक उप-निरीक्षक द्वारा नौ मार्च को मोरीगांव जिले के एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक 13 वर्षीय लड़के के साथ मारपीट करने वाले 13 वर्षीय लड़के को चार सप्ताह के भीतर 25,000 रुपये की अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया। , जिन्हें तब से निलंबित कर दिया गया है। यहां बेलटोला के शिकायतकर्ता मोनोजीत सिंह ने इस हमले की जानकारी एनएचआरसी को दी।

यह घटना मोरीगांव जिले के लहरीघाट पुलिस स्टेशन के अंदर हुई, जहां एक एएसआई ने नाबालिग को "क्रूरता से हमला" किया, जिसे कथित तौर पर थाना परिसर में खड़ी एक जब्त वाहनों से बिस्कुट चुराते हुए पकड़ा गया था। घटना का एक वीडियो, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें दिखाया गया था कि "नाबालिग लड़का बुरी तरह से घायल हो गया था और उसे कोई चिकित्सा उपचार नहीं दिया गया था"।

NHRC ने कहा कि राज्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उस घटना को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है जिसमें लोक सेवक को दोषी पाया गया था, यह कहते हुए कि "एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक नाबालिग व्यक्ति के लिए इस तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन स्थिति की दयनीय स्थिति को इंगित करता है"।

मोरीगांव पुलिस ने NHRC को एक रिपोर्ट में कहा कि उन्होंने IPC की धारा 324 r/w Sec के तहत मामला (संख्या 151/22) दर्ज किया है। 75 किशोर न्याय अधिनियम आरोपी एएसआई उपेन चंद्र बोरदोलोई के खिलाफ, जिन्हें बाद में 22 मार्च को "अनुशासनहीनता, घोर कदाचार और सरकारी कर्तव्य की अवहेलना" के लिए निलंबित कर दिया गया था। उसे 28 मई को चार्जशीट किया गया था। पुलिस ने यह भी कहा कि प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य सलाहकारों द्वारा एक परामर्श सत्र की व्यवस्था की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना के बाद कोई मानसिक आघात न हो।

घटना को गंभीरता से लेते हुए एनएचआरसी ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत असम के मुख्य सचिव पी.के. बोरठाकुर ने उनसे पूछा कि वर्तमान मामले में पीड़ित को 25,000 रुपये के मौद्रिक मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। "आयोग द्वारा दिनांक 22.7.2022 के आदेश द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में, अब तक कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित प्राधिकरण के पास वर्तमान मामले के पीड़ित को मुआवजे के भुगतान के संबंध में कहने के लिए कुछ नहीं है, "एनएचआरसी के 14 सितंबर के निर्देश बोरठाकुर को कहा गया है।

Haryana Human Rights Commission orders Rs 10L relief for mentally-challenged rape victim

<https://www.tribuneindia.com/news/haryana/rights-panel-orders-10l-relief-for-rape-victim-432537>

Mentally-challenged woman was raped at Yamunanagar hospital in 2017 | Victim unable to give valid statement

The Haryana Human Rights Commission (HHRC) has recommended compensation of Rs 10 lakh for a mentally-challenged rape victim.

Victim unable to give valid statement

The sad irony of the situation is that the doctor has stated that owing to her mental condition, the victim is unable to give a valid statement. On this account, no identification of the suspected accused could be done. -- Justice KC Puri (retired), HHRC

The victim (55) was admitted to the Government Hospital in Yamunanagar when the incident happened. An FIR in the case was registered on December 27, 2017, against an unknown person.

The HHRC took cognisance of the crime on February 13, 2019, after a complaint was received from the National Human Rights Commission (NHRC), New Delhi.

The forensic examination revealed that the woman was raped. The police had conducted DNA tests on seven suspects, but they didn't match. A lie detection test also didn't connect them to the crime.

The HHRC was informed in January this year that in the doctor's opinion, the victim experienced auditory hallucinations, suffered from loosening of association, disorganised behaviour, and irrelevant and abusive talking.

The Bench, comprising Justice KC Puri (retired) and member Deep Bhatia, observed: "The sad irony of the situation emerged when the doctor opined that due to her mental condition, the victim was unfit to give a valid statement. On this account, no identification of the suspected accused could be done."

On July 14, ASI Kamla Rani informed the commission that the victim's kids are married and she could be seen roaming around the village begging for food.

Arriving at the compensation, the commission observed: "It is unfortunate that a poor and disabled woman, who has been raped, is begging in the streets for food." The commission added that the facts available on record suggested that there could be involvement of more than one person in the rape of "the poor wretched lady".

"...under Section 18(a)(i) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the commission deems it proper and appropriate to grant a compensation of Rs 10 lakh to the dependent(s) of the victim," said the order dated September 15.

The Additional Chief Secretary of the Home Department has been asked to comply with the order within three months.

The commission requested the District Legal Services Authority of Yamunanagar to contact the legal heirs of the victim and initiate the proceedings for the appointment of a guardian. Till a guardian is appointed, compensation will remain deposited in a fixed deposit account of the victim.

The commission has also directed the Director General of Police, Haryana, not to close the case and continue "to nab the real accused" involved in the crime.

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बलात्कार पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये की राहत का आदेश दिया

<https://jantaserishta.com/local/haryana/haryana-human-rights-commission-orders-rs-10-lakh-relief-for-mentally-challenged-rape-victim-1575179>

हरियाणा मानवाधिकार आयोग (HHRC) ने मानसिक रूप से विक्षिप्त बलात्कार पीड़िता के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की है। वैध बयान नहीं दे पा रही पीड़िता स्थिति की दुखद विडंबना यह है कि डॉक्टर ने कहा है कि उसकी मानसिक स्थिति के कारण पीड़िता सही बयान देने में असमर्थ है। इस वजह से संदिग्ध आरोपितों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। - न्यायमूर्ति केसी पुरी (सेवानिवृत्त), एचएचआरसी घटना के वक्त पीड़िता (55) को यमुनानगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में 27 दिसंबर 2017 को एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), नई दिल्ली से शिकायत मिलने के बाद एचएचआरसी ने 13 फरवरी, 2019 को अपराध का संज्ञान लिया। फोरेंसिक जांच में पता चला कि महिला के साथ रेप हुआ है। पुलिस ने सात संदिग्धों का डीएनए परीक्षण किया था, लेकिन उनका मिलान नहीं हुआ। एक लार्ड डिटेक्शन टेस्ट ने भी उन्हें अपराध से नहीं जोड़ा। एचएचआरसी को इस साल जनवरी में सूचित किया गया था कि डॉक्टर की राय में, पीड़िता को श्रवण मतिभ्रम का अनुभव हुआ, वह संबंध के ढीलेपन, अव्यवस्थित व्यवहार और अप्रासंगिक और अपमानजनक बातचीत से पीड़ित थी।

न्यायमूर्ति केसी पुरी (सेवानिवृत्त) और सदस्य दीप भाटिया की खंडपीठ ने कहा: "स्थिति की दुखद विडंबना तब सामने आई जब डॉक्टर ने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति के कारण, पीड़िता एक वैध बयान देने के लिए अयोग्य थी। इस वजह से संदिग्ध आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है।" 14 जुलाई को एसआई कमला रानी ने आयोग को बताया कि पीड़िता के बच्चों की शादी हो चुकी है और उसे गांव में घूमते हुए भीख मांगते देखा जा सकता है। मुआवजे पर पहुंचने पर, आयोग ने कहा: "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गरीब और विकलांग महिला, जिसके साथ बलात्कार किया गया है, भोजन के लिए सड़कों पर भीख मांग रही है।" आयोग ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों से पता चलता है कि "गरीब पीड़ित महिला" के बलात्कार में एक से अधिक लोगों की संलिप्तता हो सकती है।

"... मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) (i) के तहत, आयोग ने पीड़ित के आश्रितों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देना उचित और उचित समझा," आदेश में कहा गया है। दिनांक 15 सितंबर। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को तीन महीने के भीतर आदेश का पालन करने को कहा गया है। आयोग ने यमुनानगर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़ित के कानूनी वारिसों से संपर्क करने और अभिभावक की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया। अभिभावक की नियुक्ति होने तक पीड़िता के सावधि जमा खाते में मुआवजा जमा रहेगा। आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को मामले को बंद नहीं करने और अपराध में शामिल "असली आरोपी को पकड़ने" के लिए जारी रखने का भी निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलित भाइयों के खिलाफ यूपी पुलिस द्वारा दर्ज कथित 'फर्जी' मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया

<https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/allahabad-high-court-orders-cbi-probe-into-alleged-fake-case-registered-by-up-police-personnel-against-dalit-family-members-209546>

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सीबीआई को दो व्यक्तियों/आरोपियों के खिलाफ अपहरण के एक मामले की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने आरोप आरोप लगाया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के 35 पुलिस कर्मियों के इशारे पर झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।

जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की पीठ ने दलित याचिकाकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कथित 'फर्जी' अपहरण मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली एक रिट याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक निवेदन था कि मथुरा जिले के पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं या उनके भाई के खिलाफ बड़ी संख्या में धोखाधड़ी और झूठे मामले दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि पहले के मामलों में समझौता करने के लिए उन पर दबाव डाला जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान एफआईआर (अपहरण का मामला) सिर्फ याचिकाकर्ताओं पर जांच रिपोर्ट के लिए दबाव ना बनाने के लिए दर्ज किया गया था, जिसमें 35 पुलिस अधिकारियों को प्रथम दृष्टया झूठे मामले दर्ज करने और याचिकाकर्ताओं और उनके भाई पुनीत कुमार के खिलाफ झूठे आपराधिक मामलों का मंच प्रबंधन करने का दोषी पाया गया है।

मामला

प्रेम सिंह नाम के एक व्यक्ति ने एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर 4 अक्टूबर 2013 को पुनीत कुमार को मारने का प्रयास किया। पुनीत की मां माया देवी ने इस घटना के बारे में पुलिस से शिकायत की, हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय पुनीत के भाई सुमित कुमार (याचिकाकर्ता संख्या 1) के खिलाफ धारा 151, 107, 116 सीआरपीसी के तहत झूठा मामला दर्ज किया।

इसके बाद याचिकाकर्ता की मां माया देवी ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत आवेदन दिया, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया।

इससे क्षुब्ध होकर पुलिस अधिकारियों ने आरोपितों की मिलीभगत से याचिकाकर्ताओं, उनके भाई और उनकी मां के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 452, 354 आईपीसी के तहत एक और एफआईआर दर्ज की। इसके बाद याचिकाकर्ताओं की मां ने झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों के आचरण से व्यथित होकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संपर्क किया और आयोग के निर्देश पर अगस्त 2016 में सुरेंद्र सिंह यादव, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन हाईवे, मथुरा और सब-इंस्पेक्टर नेत्रपाल सिंह के खिलाफ धारा 166-ए के तहत मामला दर्ज किया गया।

जनवरी 2018 में याचिकाकर्ताओं के भाई पुनीत कुमार को एक ऑटो ड्राइवर के साथ, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने हिरासत में ले लिया और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट और आईपीसी की कुछ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संपर्क किया, जिन्होंने 03 अगस्त, 2020 को विशेष जांच प्रकोष्ठ को 10.01.2018 की घटना के संबंध में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता के संबंध में जांच करने का निर्देश दिया। घटना के तहत याचिकाकर्ताओं के भाई पुनीत कुमार को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और बाद में झूठे मामलों में फंसाया गया था।

प्रेम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (विशेष जांच), मुख्यालय लखनऊ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें पुनीत कुमार को अवैध रूप से हिरासत में लेने और उन्हें झूठे मामले में फंसाने में शामिल पुलिस कर्मियों का पता लगाया गया।

हालांकि, जब इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो याचिकाकर्ताओं के भाई ने फिर से एससी आयोग का दरवाजा खटखटाया, परिणामस्वरूप, एससी आयोग ने पुलिस महानिदेशक, यूपी से जानकारी मांगी।

इसके तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि आक्षेपित एफआईआर धारा 363, 366 आईपीसी के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शिकायतकर्ता के कहने पर दर्ज किया गया था, और जांच के दौरान, यह आरोप लगाया गया है कि पीड़िता द्वारा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए एक बयान पर याचिकाकर्ताओं का नाम अपराध करने में सामने आया। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने पाया कि चूंकि एससी आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और राज्य के वकील भी यह निर्दिष्ट करने में विफल रहे कि क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी, इसलिए जांच को सीबीआई को स्थानांतरित करने का फैसला किया। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 9 नवंबर को पोस्ट किया गया है।

जेल में दो बंदियों की मौत की होगी सीबीसीआईडी जांच

<https://www.amarujala.com/delhi-ncr/ghaziabad/ghaziabad-ghaziabad-news-gbd24469293>

गाजियाबाद। डासना जेल में दो बंदियों की विष से मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार (एनएचआरसी) ने डीजीपी को सीबीसीआईडी जांच कराने का निर्देश दिया है। सात जून 2021 को मसूरी थाना क्षेत्र के आरोपी शादाब उर्फ बाबू की डासना जेल में मौत हो गई थी। बिसरा जांच में इथाइल एल्कोहल और एल्यूमिनियम फास्फाइड विष की पुष्टि हुई थी। इसी थाना क्षेत्र निवासी रविंद्र की मौत जेल में 12 जून 2021 को हुई थी। उसकी बिसरा जांच रिपोर्ट में इथाइल एल्कोहल और आरमोनोक्लोरो इंसेक्टीसाइड विष की पुष्टि हुई थी।

डीआईजी के नेतृत्व में गठित जांच टीम ने 20 से 26 जून के बीच में डासना जेल की जांच की थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने मामले की शिकायत करने वाले डासना जेल में कार्यरत तत्कालीन डॉ. नितिन का चार महीने का वेतन रोका जाना मानवाधिकार का उल्लंघन माना है। आयोग ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि डॉ. नितिन को उचित मुआवजे के साथ वेतन जारी किया जाए। डासना जेल में 15 साल से कार्यरत मुख्य वार्डन शिवकुमार शर्मा की पांच साल में हुई शिकायतों की जांच कर रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की प्रिजनर रिफार्म कमेटी द्वारा बंदियों के सुधार के लिए रिक्त पदों पर भर्ती, जेल से संबंधित एक मामले की सीडीओ विक्रमादित्य द्वारा की जा रही जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। एनएचआरसी ने यह भी कहा है कि सभी रिपोर्ट छह सप्ताह में दाखिल की जाए नहीं तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो।